माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./सम्पदा/2019/

दिनांक : ....

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उत्तर पुस्तिका बंडलों के अनुपयोगी टाट के टुकड़ों की नीलामी सूचना

क्रमांक : मा.शि.बो./सम्पदा/2019/04

दिनांक : .15.01.2019

उत्तर पुस्तिका बंडलों के अनुपयोगी टाट के टुकड़ों की नीलामी जहां है, जैसे हैं, के आधार पर बोर्ड कार्यालय में दिनांक 05.02.2019 को अपरान्ह 12.00 बजे की जायेगी। बयाना राशि रु. 1,000/– नीलामी दिवस को प्रातः 11.00 से 12.00 बजे तक जमा की जायेगी। इच्छुक क्रेता निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित होकर बयाना राशि मौके पर जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी योग्य सामग्री बोर्ड परिसर में इस कार्यालय के नये भवन की पार्किंग में रखी है जिसका अवलोकन दिनांक 04.02.2019 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक किया जा सकता है। विस्तृत शर्तें/जानकारी बोर्ड कार्यालय सम्पदा शाखा से कार्य दिवस/कार्यालय समय में की जा सकती है।

सचिव

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी दिनांक 05.02.2019 को की जायेगी। नीलामी के लिए 11.00 बजे से 12.00 बजे तक सभी बिडर्स द्वारा बयाना राशि जमा की जायेगी, उक्त समय पश्चात बयाना राशि जमा नहीं की जायेगी।
2. नीलामी की बोली अपरान्ह 12.00 बजे से शुरू की जायेगी।
3. नीलामी के माल का बिडर दिनांक 04.02.2019 को प्रातः 11.00 बजे से 04.00 बजे तक अवलोकन कर लें।
4. माल बोर्ड कार्यालय परिसर में गोपनीय शाखा के उत्तरपुस्तिका हॉल में रखा है, वहां से माल जैसा है, जिस स्थिति में है, बेचा व उठाया जाना है। माल उठाने का कोई भी व्यय बोर्ड द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।
5. बयाना राशि रू. 1,000/– जमा कराने वाले बिडर ही नीलामी में भाग लेने योग्य होंगे।
6. नीलामी में केवल बयाना राशि जमा कर बोली लगाने के लिए अधिकृत बोलीदाता ही भाग ले सकेंगे।
7. न्यूनतम आरक्षित दर रु 1,000/– के आगे ही बोली प्रारम्भ की जायेगी।
8. अंतिम बोली छोड़ने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा।
9. पर्याप्त दर के अभाव में नीलामी निरस्त करने का अधिकार समिति को होगा।
10. सफल बिडर को बोली के दिवस ही विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशि, बयाना राशि को समायोजित करते हुए जमा करानी होगी।
11. समस्त सामग्री सफल बिडर द्वारा बोली दिवस के 07 दिवस की अवधि में ही उठानी होगी। अन्यथा 07 दिवस की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन रूपये 200/– (यदि फर्म द्वारा कुछ माल उठा लिया गया और कुछ माल शेष रह गया हो तो भी) गोदाम किराये के रूप में वसूला जायेगा।
12. असफल बिडर्स की बयाना राशि नीलामी समाप्ति उपरान्त लौटा दी जायेगी एवं सफल बिडर की बयाना राशि का समायोजन बोली की राशि/प्रतिभूति राशि में किया जा सकता है। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
13. विवाद की स्थिति में सचिव मा.शि.बो.राजस्थान, अजमेर का निर्णय अंतिम तथा बोलीदाताओं को स्वीकार्य होगा।
14. नीलामी बोर्ड कार्यालय के मुख्य भवन के प्रथम तल पर कमरा नं. 38 मिनी सभागार में की जायेगी।
15. किसी भी प्रकार की जानकारी/शंका समाधान हेतु सहायक निदेशक (सम्पदा) से सम्पर्क करें।
16. अन्य नियम व शर्तें राजस्थान सरकार के लेखा नियम तथा पारदर्शिता नियमों के अनुसार होंगी।
17. अनुपयोगी टाट के टुकड़ो के विक्रय पर 5% GST देय होगा तो नियमानुसार पृथक से लिया जायेगा।

उप सचिव
(सम्पदा)